



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 711]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2016/चैत्र 2, 1938

No. 711]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2016/ CHAITRA 2, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2016

का.आ. 1173(अ).— केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ठ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्यों को, उनके नाम के सामने विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करती है और उक्त प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1403 (अ) तारीख 4 सितम्बर, 2006 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 5 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

5.	श्री पी भट्टाचार्य, संसद सदस्य (राज्य सभा)	— सदस्य वह 18 अगस्त, 2017 तक या उनके लोक सभा के सदस्य न रहने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे।
----	---	--

[फा.सं. 15-25/2009—एनटीसीए]

बी.एस. बोनाल, अपर वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना)

टिप्पण:- राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण गठित करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1403 (अ), तारीख 4 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात उसमें निम्नलिखित संशोधन किए गए, अर्थात् :-

1. का.आ. 1889 (अ) तारीख 2 नवंबर, 2006;
2. का.आ. 981 (अ) तारीख 13 जून, 2007;
3. स. 15-25/2009—एनटीसीए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 तारीख 4 सितंबर, 2009 में प्रकाशित ;
4. सं. 15-25/2009—एनटीसीए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 तारीख 17 सितंबर, 2010 में प्रकाशित);
5. का.आ. 1440 (अ), तारीख 21 जून, 2011
6. का.आ. 2276 (अ), तारीख 21 सितंबर, 2012 और
7. का.आ. 2460 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2015.

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2016

S.O. 1173(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 38L of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints the following member to the National Tiger Conservation Authority for a period specified against their name with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number S.O. 1403(E), dated the 4th September, 2006, namely:—

In the said notification, for serial number, 5 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted namely:—

“5.	Shri P. Bhattacharya, Member of Parliament (Rajya Sabha)	- Member (He shall hold office till he ceases to be a Member of Rajya Sabha, i.e. up to 18.8.2017).”.
-----	---	--

[F.No.15-25/2009-NTCA]

B.S. BONAL, Addl. Director General of Forests (Project Tiger)

Note:The principal notification constituting the National Tiger Conservation Authority was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification S.O. 1403(E), dated the 4th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 1889(E), dated the 2nd November, 2006;
2. S.O. 981(E), dated the 13th June, 2007;
3. No. 15-25/09-NTCA.—published in the Gazette of India Extraordinary, Part III—Section 4 dated the 4th September, 2009;
4. No. 15-25/09-NTCA.—published in the Gazette of India Extraordinary, Part III—Section 4 dated the 17th September, 2010;
5. S.O. 1440(E), dated 21st June, 2011;
6. S.O. 2276(E), dated 21st September, 2012;
7. S.O. 2460(E), dated 9th September, 2015.